

राजस्थान-सरकार
राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.9(52)राज./ ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक :- 23/7/13

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गाँव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

क्र०सं	जिला/ तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में)		दूरी कि०मी ०में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बीकानेर/ कोलायत	चारणवाला ✓	4777	20511	हनुमानपुरा (चक 2 पीएसम 1)	666	2724 ✓	20	17787
2		गज्जेवाला ✓	3114	13120	5 जीडब्ल्यूएम	269	1054.61 ✓	12	12065.39
3		✓	2845	12065.39	17 केडब्ल्यूडी	316	557 ✓	8	11508.39
4		सेवडा ✓	3181	12588.32	मेहताबपुरा ✓	394	3256.20 ✓	9	9332.12
5		✓		17156.73	सोफरानगर ✓	644	2385.56 ✓	19	14770.87
6		✓		14770.87	नेतावर्ती की ढाणी ✓	645	2182.55 ✓	5	12588.32
7		दादू का गाँव ✓	895	2067.88	गहलोत नगर	359	964.91 ✓	4	1102.97
8		हनुमान नगर ✓	2100	2454.60	गुलाबनगर	271	768.62 ✓	10	1685.98
9		गोगडिया वाला ✓	1701	17333	7 जीडब्ल्यूएम (लालपुरी)	305	1192 ✓	2	16141
10		बीकमपुर ✓	2690	20342	बिकोलाई	302	4089 ✓	10	16253
11		रणजीतपुरा ✓	3500	39496	श्री भवानी मेहरपुरा	599	864 ✓	15	38632
12		✓		40505	फतुवाला	842	1009 ✓	10	39496

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बीकानेर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(सूबेसिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव